हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री वी0के0 त्रिवेदी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2014 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5	539.06
2	संविदाकारों को दिये गये सुरक्षित अग्रिमों की वसूली न करना	6	49.66
3	बिजली बोर्ड से डिपाजिट राशि से कम कार्य निष्पादित करने के परिणामस्वरूप वसूली न करना	7	14.51
4	विद्युत मण्डल शिमला (हिमुडा) से वसूली योग्य राशि शेष	9	3.55

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई

गई है। वर्ष 2004–05 से 2012–13 तक मण्डल से सम्बन्धित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	2004–05	1	
2	2005–06	2	
3	2006–07	1	
4	2007–08	3	
5	2009–10	1	
6	2011–12	1	
7	2012–13	2	
	कुल	**11**	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के उपरोक्त अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री पंकज भ्रारिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 13.01.15 से 24.01.15 के दौरान धर्मशाला में किया गया। माह 03/2014 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

This audit report has been prepared on the basis of the information's furnished and made available by the Controlling Officer of the Division. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation on the part of auditee. Responsibilty of audit is only confirmed to the month's selected for test/detail check.

3 **अंकेक्षण शुल्क** :–

अंकेक्षण शुल्क हेतु अधियाचना अलग से जारी की जाएगी।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

दिनांक 31.03.14 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (विद्युत) धर्मशाला मण्डल की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। वित्तीय स्थिति का अन्तशेष सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" (पृष्ठ संख्या 1 से 3) में दिया गया है।

माह	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
अप्रैल	3188391.60	2553696	5742087.60	3081171	2660916.60
मई	2660916.60	3002290	5663206.60	1600667	4062539.60
जून	4062539.60	2890953	6953492.60	2744230	4209262.60
जुलाई	4209262.60	2530109	6739371.60	3733589	3005782.60
अगस्त	3005782.60	3950933	6956715.60	3964637	2992078.60
सितम्बर	2992078.60	6597472	9589550.60	4701018	4888532.60
अक्तूबर	4888532.60	4810697	9699229.60	3959806	5739423.60
नवम्बर	5739423.60	2158398	7897821.60	4204840	3692981.60
दिसम्बर	3692981.60	3830129	7523110.60	3324126	4198984.60
जनवरी	4198984.60	5293565	9492549.60	4614999	4877550.60
फरवरी	4877550.60	4440679	9318229.60	3272216	6046013.60
मार्च	6046013.60	4636540	10682553.60	6216369	4466184.60

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही एवं विभिन्न बैंकों की पास बुकों का अन्तिम शेष इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता सं0	बैंक में 31.3.14 को शेष राशि	रोकड़ वही में 31.3.14 को शेष	अन्तर
1	H.G. Bank Ghumarwin	88822100001929	9568	9568	–
2	U.C.O. Bank Dharamshala	11500200000382	5504072.60	4455629.60	1048443
3	नकद राशि	–	–	987	–

दिनांक 31.3.14 को रोकड़ वही एवं पास बुक के अन्तशेष में पाए गये अन्तर के कारण एवं मिलान इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में प्रत्येक बैंक खाते की बैंक समाधान विवरणी में किया गया है।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई राशियाँ ₹53906356/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दिनाँक 31.3.14 तक परिशिष्ट "ग" में दिए गये विवरणानुसार ₹53906356/– का भुगतान विभिन्न कार्यों के (बाहरी विद्युतीकरण हेतु) किया गया था लेकिन न तो इन राशियों के विरूद्ध निष्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गये और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियो व उनके पास बची अनुपयोगी राशियों को समायोजन करवाया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तुस्थिति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जायें। वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन मात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीघ्र प्राप्त करने अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु पग उठाये जाने सुनिश्चित करें।

6 संविदाकारों को दिये गये सुरक्षित अग्रिमों ₹4965853/– की वसूली बारेः–

हिमुडा द्वारा संविदाकारो को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु परिशिष्ट "ग" के विवरणानुसार दिनाँक 31.3.14 तक सुरक्षित अग्रिमों के रूप में किए गये ₹4965853/– के भुगतान की वसूली शेष थी जिनमें से कुछ राशियो को लम्बी अवधि से समायोजित नहीं किया गया था। अतः इन राशियो की वसूली शीघ्र संविदाकारों के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 बिजली बोर्ड से डिपाजिट राशि से कम कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹1451495/– की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा बिजली बोर्ड के पास डिपाजिट कार्य के रूप में जमा राशियों के विरूद्ध निष्पादित कार्यो का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट "घ" में दिये गये विवरणानुसार बिजली बोर्ड के

पास जमा राशियों के विरूद्ध विद्युत मण्डल धर्मशाला के निर्धारित प्राकलन से कम कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप ₹1451495/– की राशि वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अनुपयोगी पड़ी थी जिसे न तो हिमुडा विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा वापिस लिया एवं न ही बिजली बोर्ड से निर्धारित प्रकलन से कम निष्पादित कार्य बारे स्पष्टीकरण प्राप्त किए गये। इतनी लम्बी अवधि तक अनुपयोगी राशियों को बिजली बोर्ड द्वारा बिना स्पष्टीकरण दिए अपने पास रखने बारे मामला बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर उक्त राशि को शीघ्र प्राप्त किया जाये तथा की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 **स्टॉफ अग्रिम ₹73508/– समायोजन हेतु शेष**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि दिनाँक 31.3.14 को मण्डल के लेखो के अनुसार स्टाफ अग्रिम के रूप में ₹73508/– मण्डल के विभिन्न कर्मचारियों के पास समायोजन हेतु शेष थी। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। अतः मण्डल द्वारा इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 **₹354520/– की वसूली विद्युत मण्डल शिमला (हिमुडा) से करने बारेः–**

जाँच में पाया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा विभिन्न संविदाकारों को ₹354520/– की धरोहर राशियों का भुगतान किया गया था जबकि इन संविदाकारों की धरोहर राशि विद्युत मण्डल शिमला में जमा की गई थी। अतः भुगतान भी विद्युत मण्डल शिमला द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः मामला विद्युत मण्डल शिमला के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर उक्त राशि शीघ्र प्राप्त करके धर्मशाला विद्युत मण्डल के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। भुगतान की गई धरोहर राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" में दिया गया है।

10 **धरोहर राशि के रजिस्टर में धरोहर राशि की प्रविष्टियाँ नियमों के अनुसार न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि मण्डल द्वारा धरोहर राशि का रजिस्टर नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था अर्थात प्रत्येक संविदाकार के अलग–2 कार्य से सम्बन्धित धरोहर राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में निर्माण कार्य के अनुसार की जानी अपेक्षित थी जबकि जाँच में पाया गया कि संविदाकार के समस्त कार्यो की धरोहर राशि की प्रविष्टियाँ संविदाकार के खाते में बिना किसी कार्य को दर्शाये कर दी गई थी जिससे इस बात का पता

लगाना कठिन था कि कौन सी धरोहर राशि संविदाकार के किस कार्य से सम्बन्धित थी एवं धरोहर राशि नियमों के अनुसार कब देय थी। इसकी सूचना उपलब्ध करवाने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनाँक 19.01.15 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जाँच में पाया कि दिनाँक 31.3.14 तक मण्डल के खाते में ₹2818981/– विभिन्न संविदाकारों की धरोहर राशि के रूप में जमा थी जिसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "छ" में दिया गया है। अतः धरोहर राशि की प्रविष्टियाँ धरोहर राशि के रजिस्टर में नियमानुसार करना सुनिश्चित करें एवं धरोहर राशि जोकि CPWD work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार लौटाने योग्य नहीं है उस राशि को मण्डल की आय में लिया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यों के वही खाते एवं रोजनामचा (Journal) तैयार न करने बारेः–

जाँच मे ंपाया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के बही खाते अधूरे थे एवं व्ययों/समायोजनों से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ राजनामचा में नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर आपत्ति है क्योंकि इसके अभाव में इस बात का पता लगाना कठिन था कि किसी विशेष कार्य में कितना व्यय किया गया था एवं मण्डल द्वारा लगभग सभी कार्य अन्य विभागों के डिपाजिट कार्यों के आधार पर किए जाते है। इसकी सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 दिनाँक 21.01.15 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को दी गई थी। अतः नियमों के अनुसार बही खातों में प्रविष्टियाँ करना एवं रोजनामचा तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि पुष्टि की जा सकी कि किस निश्चित समय में सम्बन्धित विभाग ने कितनी राशि जमा करवाई एवं निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया था।

12 अनुबन्ध की क्लॉज–17 में निर्धारित अवधि से पूर्व प्रतिभूति राशि लौटाने के फलस्वरूप संविदाकारों को अनुचित वित्तीय लाभः–

अंकेक्षण में पाया कि हिमुडा के विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा संविदाकार की प्रतिभूति राशि को लौटाते समय अनुबन्ध की क्लॉज–17 को नजर अन्दाज किया जा रहा है। अनुबन्ध की क्लॉज–17 के अनुसार कार्य के समापन के 6 माह पश्चात ही कार्य के चलित/अन्तिम बिलों से वसूली गई धरोहर राशि को लौटाया जाता है। अंकेक्षण के चयनित माहों में निम्न कार्यों की धरोहर राशि को देय तिथि से पूर्व लौटाकर संविदाकारों को अनुचित वित्तीय लाभ

प्रदान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही धरोहर राशि लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

वा0सं0	कार्य का नाम	माप पुस्तिका	कार्य पूर्ण करने की तिथि	नियमानुसार भुगतान की तिथि	धरोहर राशि (₹)
Vr. No. 25 dated 06.3.14	R/O Store in Gr. Floor & Meeting hall in 1st floor, Deptt of Animal Breeding, Mandi	MB-95 Page-58	25.10.13	25.04.14	12080
Vr. No. 73 dated 28.3.14	C/O 4 Nos T-II qtrs of police Station at Bharari Bilaspur	MB-95 Page-67	18.10.13	18.04.14	21544

13 श्री बलवीर सिंह चालक को यात्रा भत्ते दावे के रूप में अनियमित भुगतानः–

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C)-B (7)-1/2009 dated 19.06.12 के पैरा–5 के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किए गये समय के लिए साधारण दर पर दैनिक भत्ता देय होता है जबकि वाउचर संख्या 27 माह 03/2014 की जाँच के दौरान पाया कि श्री बलवीर सिंह, चालक को माह 09/2013 से 12/2013 तक के यात्रा भत्ते के रूप में ₹130/– प्रतिदिन दैनिक भत्ते की दर से ₹7241/– का भुगतान किया गया था जबकि बलवीर सिंह चालक ने माह में अधिकतर समय यात्रा में व्यतीत किया था। अतः उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार दैनिक भत्ता ₹60/– प्रतिदिन की दर से देय था। अतः यात्रा के दौरान अधिक दर से किए गये अनियमित भुगतान की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित करें। यात्रा भत्ते दावों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	माह	यात्रा भत्ते दावे की भुगतान की गई राशि (₹)
1	09/13	1235
2	10/13	2132
3	11/13	1794
4	12/13	2080

चयनित माह के अलावा अन्य माहों में किए गये अन्य अनियमित भुगतानों की वसूलियाँ अपने स्तर पर करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित करे।

14 वास्तविक भुगतान की रसीद प्रस्तुत न करने बारेः–

वाउचर संख्या 37 दिनाँक 14.3.14 की जाँच के दौरान पाया कि विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा LT line की शिफ्टिंग हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड नेरचौक को ₹60405/– का भुगतान PSFS Housing Colony at Dhaundi (Bagla) से माप पुस्तिका 92/2012 पृष्ठ संख्या 99 में किया गया था लेकिन इससे सम्बन्धित अभिलेख एवं वास्तविक भुगतान की रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कि भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 संविदाकार के प्रथम चलित बिल से ₹136920/– की वसूली के सन्दर्भ म्रेंः–

कार्य का नाम C/O Distt. Panchayat office zila Pariched office building at Mandi (SH: Pvt. intchal E.I. work)

वाउचर संख्या	58, 59 ऑफ 03/14
अनुबन्ध संख्या	30 ऑफ 2013–14
अनुमानित राशि	₹929627
आंबटन राशि	₹1140940/– vide letter No. HIMUDA /SE/Dharamshala/ DB/Panchayati Raj Mandi/13-3755 dated 04.03.14 22.73% above HPSR
संविदाकार का नाम	श्री सुनील कुमार
माप पुस्तिका	90/2011

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलित बिल की जाँच मे पाया गया कि संविदाकार के कुल भुगतान ₹430813.50 से ₹136920/– की वसूली इस आधार पर की गई थी कि इस राशि का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग, मण्डी द्वारा संविदाकार को निम्न मदों के लिए किया गया थाः–

1	Conduit PVC 25mm 1687.55 Rmt @ ₹68	114753
2	Metal Box	
(a)	100x100x60mm deep 18x65	1170
(b)	180x100x60mm deep 78x73	5694
©	200x150x25mm deep 1x85	85
(d)	200x250x100mm deep 54x132	7128
(e)	280x300x100mm deep 4x185	740
(f)	P/F Fan Box 49x150	7350
		136920

लेकिन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त भुगतान बारे मण्डल को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी थीं अतः अंकेक्षण के दौरान इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18 दिनाँक 20.01.15 द्वारा सूचित किया था लेकिन इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ग्रामीण विकास विभाग मण्डी द्वारा ₹136920/– का भुगतान संविदाकार को करने का औचित्य स्पष्ट करें क्योंकि उपरोक्त कार्य का निष्पादन विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य का निष्पादन टैण्डर से पूर्व संविदाकार से करवाकर अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

16 **सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुदान ₹58240/– का अधिक कार्य निष्पादन करने बारेः–**

कार्य का नाम C/O ITI Dadasiba (SH: Pvd internal E.I. work)

वाउचर संख्या 46–47 ऑफ 11.3.14

अनुमानित राशि ₹1343982

आंबटित राशि ₹1332943/– vide letter No. HIMUDA/SE/(N) HMR(DB) ITI Dadasiba/2010-Vol-504 dated 28.09.10 on 0.82% below HPSR

अनुबन्ध संख्या 31 आफ 2010–11

संविदाकार का नाम M/S united Engineer, Dehra

माप पुस्तिका 106, 108/2013

अंकेक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त कार्य की मद संख्या I wiring for light point/fax point etc की अनुमानित मात्रा 268 point थी जबकि तृतीय चलित बिल तक इस मद की 332 Nos light points के निष्पादन हेतु ₹910/– प्रति यूनिट की दर से ₹302120/– का भुगतान माप पुस्तिका 108 पृष्ठ संख्या 25 में संविदाकार को किया गया था अर्थात इस मद में 23.88**%** की दर से ₹58240/– का विचलन (Deviation) पाया गया था जिसके निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य थी। अतः अनुमान से अधिक मात्रा का निष्पादन करने बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं विचलन की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 आबंटन राशि से अधिक कार्य का निष्पादन करने बारेः–

कार्य का नाम C/O 1 Nos Barrack & Kitchen block (Additional) at Jungle Beri Hamirpur (SH: Pvd int E.I. work)

अनुबन्ध संख्या 13 ऑफ 2012–13

अनुमानित राशि ₹1734034

आंबटित राशि ₹1983170 vide letter No. HIMUDA/SE/(N) HMR(DB) IRB - Jungle Beri (E.I. work)/2012/948 dated 04.09.12 on 14.37% above HPSR

संविदाकार का नाम Sh. G.L. chopra

वाउचर संख्या 52, 53 ऑफ 20.03.14

माप पुस्तिका 104 ऑफ 2013

न्याय संगत दरें 23.17% above HPSR

उपरोक्त कार्य के विभिन्न चलित बिलों की जाँच क दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया कि माप पुस्तिका 104 के पृष्ठ 3 से 6 में उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित विभिन्न मदों की निष्पादित मात्रा का विवरण दिया गया था लेकिन इन मदों की निष्पादित मात्रा को सहायक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा Test-check नहीं किया गया था

जबकि नियमों के अनुसार सहायक अभियन्ता का 50**%** एवं अधिशासी अभियन्ता का 10**%** Test Check अनिवार्य था। अतः नियमों के अनुसार Test Check न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) जांच में पाया कि उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलित बिल तक संविदाकार को कुल ₹1969094/– का भुगतान किया गया था जबकि इसमें कुछ मदों के लिए आंबटित दरो से कम दरों (Part rate) पर भुगतान कियाग या था। अर्थात आंबटित दरो पर द्वितीय चलित बिल तक संविदाकार को ₹1997233/– का भुगतान देय था एवं कार्य प्रगति पर होने के कारण अन्तिम बिल तक कार्य की कुल लागत बढ़ने की पूरी सम्भावना है जबकि उपरोक्त कार्य के आंबटन पत्र की शर्त–8 के अनुसार स्पष्ट किया गया था कि कार्य की प्रमात्रा के विचलन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा शिमला की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादिन नहीं किया जायेगा। अतः आंबटित कार्य राशि से अधिक राशि खर्च करने का औचित्य आंबटित पत्र की शर्तो के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए।

इसके अतिरिक्त निम्न मदों में अत्याधिक विचलन पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

क्र0सं0	**मद संख्या**	**अनुमानित मात्रा**	**द्वितीय चलित बिल तक निष्पादित मात्रा**	**दर**	**विचलन (Deviation)**
1	(I) Wiring for light point	513 Nos	605 Nos	₹850 each	₹78200
2	(3) Wiring for power plug	473Mtr	707.29 Mtr	₹410 per mtr	₹96059
3	(10) S/F bake lite button	42 Nos	186 Nos	₹40 each	₹5760
4	(15) S/Erection of 6 amps to 32 amps	194 Nos	244 Nos	₹210 each	₹10500

5	(a) Single pole Cat-A	12 Nos	26Nos	₹490 each	₹6860
6	16 (b) S/F 100 amps four poles, 415 volt	4 Nos	13 Nos	₹1000 each	₹9000
7	(31) P/F Shock proof sim decorative extruded 1x36 watt FTL	157 Nos	220 Nos	₹630 each	₹39690

18 वाहनों की कम औसत बारेः–

(क) वाहन संख्या एचपी–03–2781

उपरोक्त वाहन की औसत माह के अन्त में तैयार नहीं की गई थी एवं न ही नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इसे सत्यापित किया गया था। अंकेक्षण के दौरान इस वाहन की औसत लगभग 10कि0मी0 प्रति लीटर पाई गई। अतः इस वाहन की औसत की प्रत्येक माह में गणना करना सुनिश्चित करें एवं औसत की किसी प्रमाणिक ऐजेन्सी से सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित किया जाए एवं यदि गाड़ी की औसत प्रमाणिक औसत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल की खपत की वसूली उचित स्त्रोत से करके मण्डल के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(ख) वाहन संख्या एचपी–07–सी 0030

(1) उपरोक्त वाहन की तरह इस वाहन की औसत की गणना भी नहीं की गई थी एवं अंकेक्षण के दौरान इसकी औसत लगभग 8 कि0मी0 प्रति लीटर पाई गई। अतः इसकी औसत भी प्रमाणिक ऐजेन्सी से सत्यापित करवाकर अधिक तेल की खपत के बराबर राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

(2) जाँच में पाया कि जनवरी माह में इस वाहन की लॉग बुक में 31 लीटर डीजल बकाया दर्शाया था एवं फरवरी 2014 में 325 लीटर डीजल का क्रय एवं 308 लीटर डीजल की खपत दर्शाकर बकाया 48 लीटर के स्थान पर 46 लीटर डीजल दर्शाया गया था अर्थात 2 लीटर डीजल कम दर्शाया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

19 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :–** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)228 / 03–खण्ड–3–2503–07, दिनांक–21.05.15, शिमला–09.

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(2) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला–171002

पंजीकृत :– (3) अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) में सन्दर्भित
हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकारण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के अवधि 04/2004 से 03/2013 तक के पैरा की वस्तुस्थिति

(क) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005</u>

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ख) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006</u>

1	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007</u>

1	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008</u>

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत

पैरा 8 (1) निर्णीत C/O SC, ST Hostel at Sarkaghat की Deviation एवं Extra Items Statement, CEO द्वारा पत्र संख्या HIMUDA (EE) (DB) Eletrical work/ Design/1013/Vol-II dated 27.08.13 द्वारा अनुमोदित कर दी है।

पैरा 8 (2) निर्णीत C/O SC, ST Hostel at Ghumarwin की Deviation Statement, CEO द्वारा पत्र संख्या HIMUDA (EE) (DB) Eletrical work/ Mandi/12/Vol-II 30729-30 dated 22.01.14 द्वारा अनुमोदित कर दी है।

पैरा 8 (3) एवं (4) का समायोजन पूर्व के अंकेक्षण में कर दिया गया था।

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1 पैरा–8 निर्णीत

कार्य C/O SC, ST Hostel for Degree College Mandi की Deviation Statement,एवं Extra Items Statement, CEO द्वारा पत्र संख्या HIMUDA (EE) (DB) Eletrical work/ Mandi/ Division12/Vol-I dated 29.03.13 द्वारा अनुमोदित कर दी गई। अतः कार्यवही देखने के पश्चात पैरे का समायोजन कर दिया गया।

2 पैरा–10 अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012</u>

1 पैरा–7 निर्णीत

कार्य C/O Bus stand at Dharampur Distt Mandi की Deviation Statement,को CEO द्वारा पत्र संख्या HIMUDA (DB) Eletrical MD/ Division/015/Vol-III-40251-52 dated 08.01.15 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया।

2 पैरा–8 अनिर्णीत

8 पैरा–11 निर्णीत

गाड़ी संख्या HP 51-1245 एवं HP 52-0603 की लॉग बुकों में पैरे में वर्णित तेल से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच के पश्चात पैरे का समायोजन कर दिया गया।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा–4	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया) (पैरा–5)
2	पैरा–5	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया) (पैरा–7)
3	पैरा–6	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया) (पैरा–6)

4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	निर्णीत

₹4044 ⁄ – की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 0133815 दिनाँक 20.01.15 द्वारा वसूल करके मण्डल के खाते में जमा कर दिये गये थें। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया।